



INCREDIBLE PUBLIC SCHOOL

A CO-EDUCATIONAL ENGLISH MEDIUM SCHOOL

LILKAR, SIKANDERPUR, BALLIA (U.P.)

Ref. No.:

Date: 20.1.2016

To
The Joint Director of Education
Azamgarh Mandal
Azamgarh, U.P.

Sir,

With due respect, I beg to inform you that CBSE vide their circular dated 8.7.2013 has amended affiliation Bye-Laws of the Board for their affiliation (Copy enclosed).

In this connection, I beg to inform you that our school is recognized upto 8th class from UP Government vide letter no. 28762-65, dated 27-01-2016 and we have applied for provisional affiliation upto secondary level with Central Board of Secondary Education Delhi.

This is for your kind information please.

Thanking You.

Yours faithfully

Encls: As above

R. B. Singh

Principal

70218- Incredible Public School
Lilkar, Sikanderpur Ballia

20-1-2016
कार्यालय सहायक शिक्षा निदेशक
लखनऊ

Ajay Kumar Mishra
MANAGER
Incredible Public School
Lilkar, Sikanderpur
Ballia (U.P.)

Ajay Kumar Mishra
MANAGER
Incredible Public School
Lilkar, Sikanderpur
Ballia (U.P.)

ne: 011-22520242 (Technical Query)
none: 011- 22526257 (General Queries Reg. Aff.)
Fax: 011-22540655



E-Mail: cbse.aff@nic
Website: www.cbse.nic
Affiliation Website: www.cbseaff.nic

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI - 110 301

REGD./SPEED POST
Circular No. 10

No. CBSE/AFF./Circular/2013/10/581277

Dated: 08.07.2013

To,

All the Principals of the schools affiliated to the CBSE

Sub:- Amendment in affiliation Bye-laws Rule 3.3(i) chapter II-reg.

Sir/Madam,

Consequent upon recommendations of the Affiliation Committee made in its meeting held on 24.06.2013 and subsequently approval of the Governing Body of the Board in its meeting held on 28.06.2013, the following amendment in affiliation Bye-laws of the Board has been made by the Board:

Existing Rule 3.3 (i) chapter II

The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T. Govt. Its application either should be forwarded by the State Govt. or there should be a No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of the school with the CBSE. "No Objection Certificate" once issued to any school will be considered at par even if it prescribes a specific period of "stage" unless it is withdrawn. Condition of submitting a No Objection Certificate will not be applicable to categories 3.3(i) to (iv)

Amended Rule 3.3 (i) chapter II

The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T. Govt. and also to produce evidence to this effect that the applicant school had intimated to the concerned Education Department of the State about the application made to CBSE for seeking affiliation with the Board. In case, the Board receives any objection during the process of application of the school, the Board may ask the concerned school to produce the No Objection Certificate from the State Government or otherwise it would be assumed that concerned State/U.T. Government has No objection.

The above amendment is brought to the notice of all concerned.

R. S. Nigam

Principal

70218- Incredible Public School

Likar, Sikandarpur Ballia

Copy for information to the following:

Ajay Kumar Mishra

MANAGER

Incredible Public School
Likar, Sikandarpur
Ballia (U.P.)

W. K. Singh
Yours faithfully,

(U.C.BODH)

DEPUTY SECRETARY (AFF)

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18- Institutional Area, Shaheed Jeeb Singh Marg, New-Delhi-110016.
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201307, District Gautam Budh Nagar, (Uttar Pradesh).
3. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054.

(अंग्रेजी माध्यम) प्री प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल तक

प्रेमक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया।

सेवा में,

प्रबन्धक,
इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल लिलकर, सिकन्दरपुर
शिक्षा क्षेत्र- नवानगर,
बलिया

पत्रांक : 28762-65

/2015-16

दिनांक. 27.01.2016

विषय- निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०- 442/79-6-2011 दिनांक 19 मई 2011 के अनुपालन में आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल लिलकर, सिकन्दर, शिक्षा क्षेत्र- नवानगर, जनपद- बलिया को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक हेतु 01 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और उपरो 2010 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस में बालकों की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों, और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:-

- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अभिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं। पाँच वर्ष के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ पूर्ण करेगे।
- अध्यापकों अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को निर्वहण करेंगे।

R. K. Singh
Principal
S. N. Singh Public School
Lilkar, Sikandarpur Ballia

MANAGER
S. N. Singh Public School
Lilkar, Sikandarpur
Ballia (U.P.)

- अध्यापक स्वयं को किसी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें नियमानुसार है:-
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-
 - कुल निर्मित क्षेत्र-
 - क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल-
 - कक्षाओं की संख्या-
 - प्राध्यापक सह कार्यालय- सहभण्डार के लिए कक्ष-
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-
 - पेयजल-
 - मिड डे मिल पकाने के लिए रसोई-
 - बाधा रहित पहुँच-
 - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता-
- 10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
- 11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 14. लेखाओं की सम्परीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- 15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्यांक 464/2016... है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी भी पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
- 16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्तों के सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्य प्रणालियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 17. सोसाइटी के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 18. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
- 19. संलग्न उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र नवानगर, बलिया।

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

Ajey Kumar Maurya
MANAGER

Incredible Public School
Lilkar, Sikandarpur

Principal

70218- Incredible Public School
Lilkar Sikandarpur Ballia